न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 60/2018 ::

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
बादरराम पुत्र मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी–ग्राम दागला, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज.)		1. टीकूराम गुर्जर पुत्र पांचाराम गुर्जर निवासी ग्राम दागला, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) 2. ग्राम पंचायत मोहराई तहसील जैतारण जिला पाली जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसिंह सोलंकी
अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राधाकिशन चौधरी
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता मो. शरीफ काजी

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 21/1/19

यह निगरानी प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मोहराई की मिसल संख्या 8/2016–17 दायरा दिनांक 13.05.2016 में पारित आज्ञा दिनांक 20.12.2016 एवं पंचायत के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.12.2016 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 19 दिनांक 30.06.2017 को निरस्त करवाने हेतु पेश की गई है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी आज्ञा, प्रस्ताव व पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य है क्योंकि जैर निगरानी पट्टा गोचर भूमि में जारी किया गया है। जो कि तहसील जैतारण की जरिए पत्रांक राजस्व/2018/1818 दिनांक 07.09.2018 के प्रेषित रिपोर्ट एवं उसके संलग्न पटवार हल्का मोहराई एवं भू अभिलेख निरीक्षक निमाज की रिपोर्ट से स्पष्ट है। उक्त पट्टा संख्या 19 खसरा नम्बर 99 गैर मुमकिन गोचर ग्राम दागला में स्थित है, जो आबादी भूमि नहीं होना बताया जाने से पंचायत की आबादी भूमि नहीं होने से प्रथम दृष्टया ही जैर निगरानी पट्टा व प्रस्ताव निरस्त योग्य है। पटवार हल्का मोहराई व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बाद जांच मौका, रेकर्ड तथा नाप चौक (सीमाज्ञान) के तैयार की जाने से जैर निगरानी आराजी आबादी की भूमि नहीं होकर गैर मुमकिन गोचर होने से ग्राम पंचायत मोहराई द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.12.2016 तथा पट्टा संख्या 19 दिनांक 30.06.2017 जो मिसल संख्या 8/2016--17 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2016 की पालना में जारी किया गया, वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि ग्राम पंचायत मोहराई द्वारा जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 157(1) के तहत किया गया है जो आबादी भूमि में 50 वर्षो के दौरान पुराने विनिर्मित गृह हो तो नियमानुसार राशि वसूल

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

कर विक्रय विलेख जारी किया जा सकता है। लेकिन हस्तगत निगरानी में जो विक्रय विलेख जारी किया गया है, वह न तो आबादी भूमि में है, न ही अप्रार्थी संख्या 1 का 25 वर्षो या इससे अधिक का पुराना कब्जा है, नहीं पूर्व निर्मित गृह है, न अप्रार्थी के कब्जे की भूमि थी। जो वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटो में चल रहे निर्माण कार्य से स्पष्ट है। प्रार्थी के पक्ष में एक ही दिवस में दिनांक 30.06.2017 को तीन पट्टे गैर मुमकिन गोचर भूमि में जारी किए, जो दो टीकूराम के नाम से एवं एक उसकी पत्नी सुगनाई के नाम जारी किए गए जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 2700 वर्गफीट, 2000 वर्गफीट एवं 2400 वर्गफीट के जारी किए गए है। इस प्रकार एक ही दिवस में एक ही प्रस्ताव से अलग--अलग नाप के अलग–अलग विक्रय विलेख टीकूराम व उसकी पत्नी सुगनाई के नाम जारी किए गए है, जो विधी विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने वक्त बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि जैर निगरानी विक्रय विलेख निरस्त किया जाता है तो उनको किसी प्रकार की आपत्ती नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधी सम्मत रूप से पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा जारी किया गया है तथा कथन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.12.2016 पारित करने के पश्चात पट्टा जारी किया है। इस हेतु पंचायत द्वारा मिसल संख्या 8/2016–17 कायम की गई थी। नियमानुसार शुल्क वसूला गया था, तीन वार्ड पंचो की कमेटी का गठन किया गया था तथा दो गवाहो के बयान भी लिए तथा इस हेतु एक माह की आपत्ती इश्तिहार भी जारी किया गया। जैर निगरानी भूमि पर अप्रार्थी का 20–25 वर्षो से कब्जा होने से कब्जा के आधार पर विक्रय विलेख जारी किया गया है। जिसका विक्रय विलेख 200/– रू. वसूल कर पट्टा जारी किया गया है। उपरोक्त सभी तथ्य ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड से स्पष्ट होने से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत मोहराई द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा संख्या 19 विधी सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किया गया है। जिसे यथावत रख जाने का श्रम करावे।

बहस सुनी गई, पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र की पत्रावली में अस्थाई स्थगन आदेश दिनांक 18.09.2018 तक दिया जाकर तहसीलदार जैतारण से जैर निगरानी आराजी की निगरानी में अंकित तथ्यों पर जांच व मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2018/1818 दिनांक 07.09.2018 जिसके साथ पटवार हल्का मोहराई व भू अभिलेख निमाज की भी रिपोर्ट संलग्न है, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जैर निगरानी पट्टे ग्राम दागला पटवार हल्का मोहराई तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 99 रकबा 78.04 किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि में जारी किए गए है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जैर निगरानी आराजी पर पट्टाधारी का मकान बना हुआ नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में ही पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत मोहराई द्वारा जैर निगरानी पट्टा गोचर भूमि में जारी कर दिया गया है। जो राजस्थान पंचायती राज नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत मोहराई द्वारा जारी मिसल संख्या 8/2016–17 दायरा दिनांक 13.05.2016 में पारित आज्ञा दिनांक 20.12.2016 एवं पंचायत के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.12.2016 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 19 दिनांक 30.06.2017 अपास्त किये जाते है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21-1-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर
(राजस्थान)